भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2667

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

घरेलू कोयला उत्पादन

2667. श्री इमरान मसूद:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से कोयले के उत्पादन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल क्या हैं;

(ग) वर्ष 2019 से सम्मिश्रण प्रयोजनों के लिए देश में आयात किए जा रहे कोयले की मात्रा वर्ष-वार कितनी है; और

(घ) सम्मिश्रण के लिए कोयला आयात पर सरकार की नीति के पीछे क्या तर्क है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : वर्ष 2019 से कोयले का राज्य-वार और वर्ष-वार उत्पादन नीचे दिया गया है-

[आकंड़े मिलियन टन (मि.ट.) में]

राज्य / वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*
असम	0.517	0.036	0.028	0.200	0.200
छत्तसीगढ़	157.745	158.41	154.120	184.895	207.255
जम्मू और कश्मीर	0.014	0.010	0.011	0.010	0.012
झारखंड	131.763	123.428	130.104	156.483	191.158
मध्य प्रदेश	125.726	132.531	137.975	146.029	159.227
महाराष्ट्र	54.746	47.435	56.528	63.620	69.282
ओडिशा	143.016	154.151	185.069	218.981	239.402
तेलंगाना	65.703	52.603	67.233	69.637	72.521

उत्तर प्रदेश	18.030	17.016	18.073	20.540	21.510
पश्चिम बंगाल	33.614	30.463	29.069	32.796	37.261
कुल	730.874	716.083	778.21	893.191	997.828

*अनंतिम आंकड़े

(ख) : कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii. कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान के साथ संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित पद्धति से खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक विक्रय करने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 का अधिनियमन।

iii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/निकासी प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितियों की सहायता हेतु परियोजना निगरानी इकाई।

v. राजस्व शेयरिंग आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के तहत, उत्पादन की निर्धारित तारीख से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई। साथ ही, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम ऑफर पर 50% की छूट) दिया गया है।

vi. वाणिज्यिक कोयला खनन के नियम और शर्तें बहुत उदार हैं, जिसमें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है, अग्रिम राशि में कमी की गई है, मासिक भुगतान के लिए अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों के प्रचालन के लिए लचीलेपन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल शामिल है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए हैं। अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में, सीआईएल मुख्य रूप से सतत खनिकों (सीएम) के

साथ, जहाँ भी व्यवहार्य हो, व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी (एमपीटी) अपना रही है। सीआईएल ने परित्यक्त/बंद खानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हाईवॉल (एचडब्ल्यू) खानों की भी योजना बनाई है। सीआईएल जहाँ भी व्यवहार्य हो, बड़ी क्षमता वाली यूजी खानों की भी योजना बना रही है। अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में, सीआईएल के पास पहले से ही उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटर, डंपरों और सतही खनिकों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है।

ii. नई परियोजनाओं को स्थापित करने तथा मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नियमित रूप से संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए सीएचपी, क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे बिन्स आदि जैसी अवसंरचना विकासित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) : वर्ष 2019 से देश में सम्मिश्रण के लिए घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा आयातित कोयले की वर्ष-वार मात्रा नीचे दी गई है-

[आंकड़े मिलियन टन (मि.ट.) में]

वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24***
मात्रा	23.75	10.39	8.11	35.10	23.93

*अनंतिम आंकड़े

(घ) : वर्तमान आयात नीति के अनुसार, कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा जाता है और उपभोक्ता लागू शुल्क के भुगतान पर अपनी संविदात्मक मूल्यों के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयला आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विद्युत मांग को पूरा करने और देश भर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में भी पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 27.06.2024 को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दिनांक 04.03.2024 को जारी की गई एडवाइजरी को दिनांक 15.10.2024 तक आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।

****